रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11072024-255344
CG-DL-E-11072024-255344

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2582] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 11, 2024/आषाढ 20, 1946
No. 2582] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 11, 2024/ASHADHA 20, 1946

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 2024

का.आ. 2718(अ).— केंद्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विशिष्ट खाद्य पदार्थों पर लाइसेंसी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमाएं और संचलन प्रतिबंध हटाना आदेश, 2016 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् –

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ –

1. इस आदेश का नाम विशिष्ट खाद्य पदार्थों पर लाइसेंसी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमाएं और संचलन प्रतिबंध हटाना (द्वितीय संशोधन) आदेश, 2024 है।

2. यह आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होगा ।

2. विशिष्ट खाद्य पदार्थों पर लाइसेंसी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमाएं और संचलन प्रतिबंध हटाना आदेश, 2016 में पैराग्राफ 3 में, उप-पैराग्राफ (2) में, मद (i) के लिए, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् –

“(i) 30 सितंबर, 2024 तक की अवधि के लिए दलहन नामतः तूर और चना, काबुली चना को छोड़कर, को सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए निम्नलिखित स्टॉक सीमाओं के साथ रखा जाएगा;

- **थोक विक्रेता: प्रत्येक दाल के लिए 200 मीट्रिक टन;**
- **खुदरा विक्रेता: प्रत्येक दाल के लिए 5 मीट्रिक टन;**
- **बड़ी श्रृंखला वाले खुदरा विक्रेता (बिग चैन रिटेलर्स) – प्रत्येक दाल के लिए, प्रत्येक खुदरा आउटलेट पर 5 मीट्रिक टन और प्रत्येक डिपो में 200 मीट्रिक टन;**
- **मिलर: स्टॉक सीमा विगत 3 माह के उत्पादन अथवा वार्षिक संस्थापित क्षमता का 25%, इनमें से जो अधिक हो, होगी।**
- **आयातक: आयातक द्वारा सीमा-शुल्क की मंजूरी की तारीख से पैंतालीस दिनों से अधिक के लिए आयातित स्टॉक को धारित नहीं किया जाएगा।**

(क) संबंधित विधिक इकाइयां उपभोक्ता मामले विभाग के पोर्टल (fcainfoweb.nic.in/psp) पर स्टॉक की स्थिति की घोषणा करेंगी और यदि उनके द्वाराधारित स्टॉक निर्धारित सीमा से अधिक है, वे 12 जुलाई, 2024 तक इसे निर्धारित स्टॉक सीमा में लाएंगे।

(ख) यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उपभोक्ता मामले विभाग के पोर्टल पर दालों के स्टॉक की नियमित घोषणा की जाए और इसे अद्यतन किया जाए।

[फा. सं. एस-10/3/2019-ईसीआरएंडई]

डॉ. कामखेंथांग गुइटे, आर्थिक सलाहकार

टिप्पण: मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 929(अ), तारीख 29 सितम्बर, 2016 के माध्यम से प्रकाशित किया गया था और तदोपरांत इसमें का.आ. 2403 (अ) तारीख 21 जून 2024 के माध्यम से संशोधन किए गए थे।

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

Order

New Delhi, the 11th July, 2024

S.O. 2718(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Removal of Licensing Requirements, Stock Limits and Movement Restrictions on Specified Foodstuffs Order, 2016, namely:-

1. Short title and commencement-

(1) This Order may be called the Removal of Licensing Requirements, Stock Limits and Movement Restrictions on Specified Foodstuffs (Second Amendment) Order, 2024.

(2) It shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Removal of Licensing Requirements, Stock Limits and Movement Restrictions on Specified Foodstuffs Order, 2016, in paragraph 3, in sub-paragraph (2), for item (i), the following shall be substituted, namely:-

"(i) pulses namely Tur and Chana, excluding Kabuli Chana, for a period up to 30th September, 2024 with following stock limits for all States and Union Territories:

Wholesaler: 200 MT for each of the pulse;

- **Retailer: 5 MT for each of the pulse;**
- **Big chain retailers: 5 MT for each of the pulse at each retail outlet and 200 MT at each depot for each of the pulse;**
- **Miller: Last 3 months production or 25% of annual installed capacity, whichever is higher;**
- **Importer: Not to hold imported stock beyond forty-five days from the date of custom clearance.**

(a) respective legal entities shall declare the stocks position on the portal of Department of Consumer Affairs (fcainfoweb.nic.in/psp) and in case the stocks held by them are higher than the prescribed limits then they shall bring the same to the prescribed stock limits by 12th July, 2024.

(b) it shall be ensured that pulses stock is regularly declared and updated on the portal of the Department of Consumer Affairs.

[F. No. S-10/3/2019-ECR&E]

Dr. KAMKHENTHANG GUITE, Economic Adviser

Note: The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 929(E), dated the 29th September, 2016 and last amended vide S.O. 2403(E), dated the 21st June, 2024.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2024.07.11 22:03:04 +05'30'